

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2023/ 184

दिनांक 18/01/2023

प्रार्थीगण :-

1. नबीयत पत्नि सतार 2. रमदान पुत्र
वईया 3. मीरा 4. हासम पि. सतार 5. खमीशा
पुत्र रिडमल, जाति मुसलमान,
निवासी सुकालिया (बीजराड़)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1. वरजू पत्नि जेठाराम, जाति जाट 2. सिलेमान पुत्र मोहमद
हासण 3. सुभान 4. अकबर 5. जुड़िया 6. अनवर पि. दोसू 7. झनी
पत्नि खमीशा 8. तहीया 9. जुमा पि. अमीन 10. जानू पुत्र अली,
जातियान मुसलमान, निवासी सुकालिया (बीजराड़)
10. तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 77/2022

दिनांक : 18.01.2023

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड़ के मौजा सुकालिया के खेत खसरा सं. 663 रकबा 11.9949 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को

कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2023/ 185 to 188

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण नबीयत वगैरा
3. विप्रार्थीगण वरजू वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चौहटन
दिनांक 18/01/2023

(भागीरथ)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चौहटन